न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 —212/2020(2020/00323)

अनवान : —

मोटाराम पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. लालचन्द पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. सुभाष चन्द्र पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
3. संदीप कुमार पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
4. तुलसी पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
5. अमर पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
6. मंजू पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
7. कृष्णा पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
9. ओबीसी बैंक शाखा प्रबंधक भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत घोषणात्मक</u>
<u>अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान कास्तकारी</u>
<u>अधिनियम</u>

उपस्थिति :— श्री भानुप्रताप बैनीवाल **वादी**
श्री राजेन्द्र सहारण **प्रतिवादीगण**

<u>निर्णय</u> दिनांकः 24/03/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता संख्या 231/211 के खसरा न0 19/1 की 2.498 है0, खसरा न0 34/1 की 2.536 है0, खसरा न0 586/34 की 1.353 है0 इस प्रकार कुल खसरा 3 की कुल 6.387 हैक्टेयर बारानी व इसी प्रकार रोही मौजा चक 12 एमएसआर के खाता संख्या 150/136 के मु0 न0 48 के किला न0 18, 19, 22, मु0 न0 [illegible] के किला न0 2 इस प्रकार कुल किता 4 की कुल 1.012 हैक्टेयर नहरी 0.987 है0 व 0.025 है0 प्रतिवादी संख्या 1 लालचन्द के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:10:16 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा कुम्भाराम की

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

खातेदारी हुआ करती थी। कुम्भाराम से विरास्तन वादभूमि जो प्रतिवादी लालचन्द ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी लालचन्द ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी लालचन्द के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 लालचन्द को वादी के दादा कुम्भाराम से विरासतन प्राप्त हुई है। भू प्रबंध विभाग जमाबन्दी चक 12 एमएसआर सम्वत 2029–38 के खाता संख्या 10 एवं भू प्रबंध विभाग जमाबन्दी चक मुन्सरी बारानी सम्वत 2029–38 खाता संख्या 16 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1, 4 ता 7 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाबदावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 4 ता 7 वादीगण की बहिनें है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

साक्ष्य वादी में वादी मोटाराम पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 12 एमएसआर सम्वत 2072–75 खाता संख्या 150/126 प्रदर्श 1, जमाबन्दी मुन्सरी बारानी सम्वत 2070–73 खाता संख्या 231/211 प्रदर्श 2, भू प्रबंधन विभाग जमाबन्दी चक मुन्सरी बारानी सम्वत 2029–38 खाता संख्या 16 प्रदर्श 3, भू प्रबंधन विभाग जमाबन्दी चक 12 एमएसआर सम्वत 2029–38 खाता संख्या 10 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:10:16 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस पक्ष वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी [illegible] किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने रोही मौजा

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

न्सरी बारानी के खाता संख्या 231/211 के खसरा न0 19/1 की 2.498 है0, खसरा न0 34/1 की 2.536 है0, खसरा न0 586/34 की 1.353 है0 इस प्रकार कुल खसरा 3 की कुल 6.387 हैक्टेयर बारानी व इसी प्रकार रोही मौजाचक 12 एमएसआर के खाता संख्या 150/136 के मु0 न0 48 के किला न0 18, 19, 22, मु0 न0 69 के किला न0 2 इस प्रकार कुल किता 4 की कुल 1.012 हैक्टेयर नहरी 0.987 है0 खाला 0.025 है0 प्रतिवादी संख्या 1 लालचन्द के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है इस प्रकार वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता संख्या 231/211 के खसरा न0 19/1 की 2.498 है0, खसरा न0 34/1 की 2.536 है0, खसरा न0 586/34 की 1.353 है0 इस प्रकार कुल खसरा 3 की कुल 6.387 हैक्टेयर बारानी व इसी प्रकार रोही मौजाचक 12 एमएसआर के खाता संख्या 150/136 के मु0 न0 48 के किला न0 18, 19, 22, मु0 न0 69 के किला न0 2 इस प्रकार कुल किता 4 की कुल 1.012 हैक्टेयर नहरी 0.987 है0 खाला 0.025 है0 प्रतिवादी संख्या 1 लालचन्द के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। **उसमें वादी मोटाराम व प्रतिवादी संख्या 2 सुभाष चन्द्र, प्रतिवादी संख्या 3 संदीप कुमार को संयुक्त रूप से 7/8 हिस्सा बहिस्सा बराबर एवं प्रतिवादी संख्या 1 लालचन्द को 1/8 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हक में त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 24/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:10:16 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़